जल्द जारी होगी ग्रीन हाइड्रोजन नीति

लखनऊ। ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन को देखते हुए प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी जारी की जाएगी। इसके तहत प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन इकाई लगाने वाली कंपनियों को लीज पर भूमि दी जाएगी। साथ ही, स्टांप ड्यूटी में छूट, बिजली शुल्क, पूंजी और ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी।

यूपी नेडा की ओर से पिछले दिनों ग्रीन हाइडोजन पालिसी का ड्रॉफ्ट तैयार कराया गया है। इसका मुख्यमंत्री योगी ने अवलोकन किया। इसके बाद योगी ने कहा कि पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पूर्व इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डरों से भी परामर्श लिए जाए, ताकि निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को ज़्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। हमें इसे प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर काम करने वाली फर्मों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्सेंटिव देकर प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पूर्व विभिन्न राज्यों की संबंधित नीति का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए। ब्यूरो